[illegible] आज्ञा [illegible] कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
[illegible]25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित प्रति. सं. 1 उप0। प्रति. सं. 2 व 3 को नोटिस जारी कर पत्रावली दि0 18/[illegible]/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
8/7/24	पत्रावली पेश हुई। पी0[illegible] [illegible] अन्य राज्य कार्य में व्य[illegible] है। [illegible] पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22/8/24 को पेश हों।
[illegible]24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 [illegible] अन्य राज्य कार्य में [illegible] है। अत पत्रावली [illegible] दिनांक 20/9/24 को पेश हों।
[illegible]	पत्रावली पेश हुई। तनकीह वादी व प्रतिवादी सं0 1 उपस्थित प्रतिवादी सं0 2 व 3 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] कार्यवाही अमल में लाई जाती है [illegible] वास्ते तनकीह [illegible] [illegible]/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
[illegible]	पत्रावली पेश हु[illegible] [illegible] साहब अन्य राज्य का[illegible] है। अत पत्रावली पूर्वानु[illegible]ांक 22/11/24 को पेश हों।
22/11/24	[illegible]श हुई। पी0[illegible] साहब [illegible] कार्य में व्यस्त [illegible] अत [illegible] पूर्वानुसार दिनांक 13/12/24 [illegible] हों।
[illegible]	पत्रावली पेश हुई। [illegible] साहब अन्य राज्य कार्य में व्य[illegible] अत पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27/12/24 को पेश हों।

फर्द अहकाम

बनाम

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
27/12/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अत पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3/1/25 को पेश हों।	
3/1/25	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अत पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 9/1/25 को पेश हों।	
9/1/25	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अत पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 29/1/25 को पेश हों।	
29/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व प्रतिवादी सं. 1 उप0। प्रकरण में तनकी बनाने की आवश्यकता नहीं है। वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

ोठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
र्थना पत्र : 247/2022
र्णय दिनांक : 29.01.2025

उनवान

कल्याण पुत्र चंदा
ोरधन पुत्र चन्दा
गदीश पुत्र चंदा
ानचन्द पुत्र चन्दा
ारायण पुत्र चंदा
मस्त जाति जाट निवासी रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई तहसील सांगानेर जिला जयपुर
वादीगण

बनाम

ुलचन्द पुत्र स्व० श्री सूजा जाति जाट निवासी रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई तहसील
ांगानेर जिला जयपुर
यपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जरिये सचिव पता इन्द्रा सर्किल जे.एल.एन. मार्ग
यपुर
ाजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर
प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा व दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 29.01.2025

वादी की ओर से पेश वाद का विवरण इस प्रकार है कि वादीगण की हाल आराजी कृषि भूमि खसरा न० 96 रकबा 03850 है०, खसरा न० 98 रकबा 0.07 है० कुल किता 2 कुल रकबा 0.459 है० वाके ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है, तथा प्रतिवादी सख्या एक की हाल खसरा न0 96/1 रकबा 0.46 है० वाके ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात पूर्व मे वादीगण व प्रतिवादी सख्या एक व अन्य सहकाश्तकारो की संयुक्त कृषि भूमि थी जिसका आपसी सहमति से विधिवत बटवारां वर्ष 2007 हो चुका है। जिसमे किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। बटवारां होने के बाद उक्त भूमि का नक्शा ट्रेस भूमाप सन 1983–84 सवत 2040–41 में तरमीम किया गया जो सही है। जिस पर भी किसी प्रकार कोई एतराज व आपत्ति नही है। उक्त कृषि भूमि का नक्शो का कम्पयुटराईजकरण के दौरान जो नक्शा ट्रेस बनाये गये उसमे वादीगण की भूमि का नक्शा ट्रेस परिर्वतन कर दिया तथा सम्वत 2040 से 2041 के अनुसार बटवारां के बाद बनाये गये नक्शा ट्रेस के अनुसार नही बनाया गया है इस कारण वादीगण की भूमि का गलत नक्शा ट्रेस बन जाने के कारण रकबा व हाल नक्शा ट्रेस में मेल नही खाता है इस कारण वादीगण की भूमि के नक्शा ट्रेस को दुरूस्त किया जाकर सन 1983–84 के अनुसार नक्शा ट्रेस दुरुस्त किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। वादीगण का नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम हो जाने से प्रतिवादी सख्या एक नक्शे की भूमि का रकबा नक्शा ट्रेस से ज्यादा

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

शित हो गया है इस कारण प्रतिवादी सख्या एक नक्शा ट्रेस के आधार पर जबरन वादीगण की मे मे प्रवेश करने के लिए आमादा है। प्रतिवादी संख्या एक अपनी उक्त भूमि का प्रतिवादी सख्या के यहां से धारा 90क राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आवासीय भूमि में परिवर्तन रवाकर नक्शा अनुमोदित करवाना चाहता है। अगर गलत तरमीम के आधार प्रतिवादी सख्या दो तिवादी सख्या एक का नक्शा अनुमोदित कर देता है तो वादीगण के नक्शा ट्रेस की भूमि कम हो ायेगी। तथा रकबे व नक्शा ट्रेस मे काफी परिवर्तन होने से वादीगण को काफी नुकसान उठाना ड़ेगा। इस कारण वादीगण का पूर्व नक्शे के अनुसार हाल नक्शा ट्रेस बनाया जाना न्यायहित में वश्यक है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या दो के यहां पर प्रार्थना पत्र दिनांक 15/11/2022 को स्तुत करके निवेदन किया कि उक्त भूमि की धारा 90 (क) भू–राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही रने से पूर्व नक्शा ड्रेस मे दुरुस्ती किया जाना आवश्यक है तथा परन्तु प्रतिवादी सख्या दो ने इस र कोई गौर नही किया तथा प्रतिवादी सख्या एक की भूमि का धारा 90 (क) भू–राजस्व अधिनियम तहत कार्यवाही हाल नक्शा ट्रेस के अनुसार नक्शा अनुमोदन करने के लिए तत्पर है। तथा दीगण ने प्रतिवादी सख्या तीन को उक्त नक्शा ट्रेस की दुरूस्ती के लिए प्रार्थना पत्र दिनांक 3/11/2022 को प्रस्तुत किया तो प्रतिवादी सख्या तीन ने श्रीमान न्यायालय के समक्ष कार्यवाही रने के लिए कहा। वादीगण ने प्रतिवादी सख्या एक को दिनांक 30/10/2022 को निवेदन किया ह पहले उक्त भूमि का नक्शा ट्रेस जो कि कम्पयुटराईजकरण के दौरान गलत हो गया है उसको रूस्त करवा ले परन्तु प्रतिवादी सख्या एक ने कोई ध्यान नही दिया तथा कहा कि मैं तो मेरी भूमि ा धारा 90 क के तहत नक्शा अनुमोदित करवाकर कम्पयुटराईज नक्शे के अनुसार ही नक्शा नुमोदित करवाउगां। इस कारण वादीगण को यह वाद पत्र वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा व नक्शा दुरुस्ती तु पेश करना लाजमी हुआ है। वादीगण नक्शा ट्रेस सन 1983–84 सम्वत 2040–41 में बनाये गये क्शा ट्रेस के अनुसार कम्पयुटराईज नक्शा ट्रेस बनाकर दुरूस्त किया जावे तथा उसी अनुसार ाजस्व रिकार्ड में अंकन नक्शा ट्रेस मे किया जावे, तथा जब तक नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती नही हो ाती तब तक प्रतिवादी सख्या एक व दो को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो उक्त कृषि भूमि का धारा 90 के भू–राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही कर कम्पयूटराईज नक्शे के ानुसार नक्शा अनुमोदित नहीं करे तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखे। वादीगण के ान्ति पूर्ण उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। प्रतिवादी संख्या तीन को ाबन्द फरमाया जावे की वो राजस्व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखे। वाद कारण दिनांक 0/10/2022 को तब शुरू हुआ जब प्रतिवादी सख्या एक ने कम्पयुटराईज नक्शा दुरुस्त करवाने इनकार करने तथा प्रतिवादी सख्या दो के यहां वादीगण के द्वारा दिनांक 15/11/2022 को धारा 0क राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आवासीय भूमि मे परिवर्तन कर नक्शा अनुमोदित ाही करने बावत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर भी प्रतिवादी संख्या दो के द्वारा नक्शा अनुमोदित करने के लिए तत्पर होने तथा प्रतिवादी सख्या तीन को उक्त नक्शा ट्रेस की दुरूस्ती के लिए प्रार्थना पत्र दिनांक 18/11/2022 को प्रस्तुत करने पर प्रतिवादी सख्या तीन के द्वारा वादीगण को सक्षम न्यायालय में कार्यवाही हेतु कहने से शुरू होकर निरन्तर जारी है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार है डिक्री फरमाया जावे कि वादीगण व प्रतिवादी सख्या एक की हाल आराजी कृषि भूमि खसरा न० 96 रकबा 0.3850 है०, खसरा न० 98

उपखण्ड अधिकारी
द्वितीय (सांगानेर)

वा 0.07 है० कुल किता 2 कुल रकबा 0.455 है० व हाल खसरा न० 96/1 रकबा 0.46 है० वाके
। रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई तहसील सांगानेर जिला जयपुर के नक्शा ट्रेस सन 1983–84 सम्वत
0–41 मे बनाये गये नक्शा ट्रेस के अनुसार कम्पयुटराईज नक्शा ट्रेस बनाकर दुरूस्त किया जाये
। उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन नक्शा ट्रेस में किया जावे, तथा जब तक नक्शा ट्रेस मे
स्ती नही हो जाती तब तक प्रतिवादी सख्या एक व दो को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया
। कि वो उक्त भूमि का धारा 90 क भू–राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही कर कम्पयुटराईज
ो के अनुसार नक्शा अनुमोदित नही करे तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखे। वादीगण
ान्ति पूर्ण उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। प्रतिवादी संख्या तीन को
न्द फरमाया जावे की वो राजस्व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखे।

दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। वकील
। उपस्थित। प्रतिवादी सं 1 की ओर से वकील महेश चौधरी ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी
। ने जवाब दावा दिनांक 08.02.2023 को पेश किया जो शामिल मिसल है। प्रतिवादी संख्या 2 व
ोरमल पार्टी है उनके विरुद्ध दिनांक 20.09.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती

पत्रावली में बहस वादी अधिवक्ता की सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद में अंकित तथ्यों
दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादी सख्या एक की हाल आराजी कृषि
। खसरा न० 96 रकबा 0.3850 है०, खसरा न० 98 रकबा 0.07 है० कुल किता 2 कुल रकबा 0.
; है० व हाल खसरा न० 96/1 रकबा 0.46 है० वाके ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई तहसील
ानेर जिला जयपुर के नक्शा ट्रेस सन 1983–84 सम्वत 2040–41 मे बनाये गये नक्शा ट्रेस के
ुसार कम्पयुटराईज नक्शा ट्रेस बनाकर दुरूस्त किया जाये तथा उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे
न नक्शा ट्रेस में किया जावे, तथा जब तक नक्शा ट्रेस मे दुरूस्ती नही हो जाती तब तक
ावादी सख्या एक व दो को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि वो उक्त भूमि का धारा
क भू–राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही कर कम्पयुटराईज नक्शे के अनुसार नक्शा अनुमोदित
। करे तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखे। वादीगण के शान्ति पूर्ण उपयोग उपभोग
किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। प्रतिवादी संख्या तीन को पावन्द फरमाया जावे की वो
स्व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखे।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकार्ड का आद्योपांत अवलोकन करने व वकील
ायपक्ष की बहस का मनन करने पर हम इस निकर्ष पर पहुँचे है कि वादीगण की हाल आराजी
ये भूमि खसरा न० 96 रकबा 03850 है०, खसरा न० 98 रकबा 0.07 है० कुल किता 2 कुल रकबा
59 है० वाके ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है, तथा
तिवादी सख्या एक की हाल खसरा न0 96/1 रकबा 0.46 है० वाके ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई
सील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित हैं। उक्त आराजीयात पूर्व मे वादीगण व प्रतिवादी सख्या
व अन्य सहकाश्तकारो की संयुक्त कृषि भूमि थी जिसका आपसी सहमति से विधिवत बटवारां
2007 हो चुका है। बटवारां होने के बाद उक्त भूमि का नक्शा ट्रेस भूमाप सन 1983–84 सवत
40–41 में तरमीम किया गया जो सही है। उक्त कृषि भूमि का नक्शो का कम्पयुटराईजकरण के
रान जो नक्शा ट्रेस बनाये गये उसमे वादीगण की भूमि का नक्शा ट्रेस परिर्वतन कर दिया तथा

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

वत 2040 से 2041 के अनुसार बटवारा के बाद बनाये गये नक्शा ट्रेस के अनुसार नही बनाया
ा है इस कारण वादीगण की भूमि का गलत नक्शा ट्रेस बन जाने के कारण रकबा व हाल नक्शा
में मेल नही खाता है इस कारण वादीगण की भूमि के नक्शा ट्रेस को दुरूस्त किया जाकर सन
83–84 के अनुसार नक्शा ट्रेस दुरुस्त किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। वादीगण का वाद
ी किया जाना उचित समझते है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वादीगण व प्रतिवादी
या एक की हाल आराजी कृषि भूमि खसरा न० 96 रकबा 0.3850 है०, खसरा न० 98 रकबा 0.07
कुल किता 2 कुल रकबा 0.455 है० व हाल खसरा न० 96/1 रकबा 0.46 है० वाके ग्राम
सिंहपुरा उर्फ धौलाई तहसील सागानेर जिला जयपुर के नक्शा ट्रेस सन 1983–84 सम्वत 2040–41
नाये गये नक्शा ट्रेस के अनुसार कम्पयुटराईज नक्शा ट्रेस बनाकर दुरूस्त किया जाये तथा उसी
सार राजस्व रिकार्ड मे अंकन नक्शा ट्रेस में किया जावे, तथा जब तक नक्शा ट्रेस मे दुरूस्ती नही
ाती तब तक प्रतिवादी सख्या एक व दो को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित
जीयात का धारा 90 क भू–राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही कर कम्पयुटराईज नक्शे के
सार नक्शा अनुमोदित नही करे तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखे। वादीगण के शान्ति
उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। निर्णय के मुताबिक डिक्री पृथक से
हो।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर), जयपुर